रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/97 REGD. NO. D. L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 604] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 27, 1997/कार्तिक 5, 1919
No. 604] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 27, 1997/KARTIKA 5, 1919

कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 1997

का.आ. 748 (अ).— केन्द्रीय सरकार, पूर्व विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 4 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 573 (अ), तारीख 11 अगस्त, 1983 का, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(1) "राष्ट्रीय विकलांग कल्याण निधि" शब्द, जहां-जहां वे आते हैं, के स्थान पर "नि:शक्त व्यक्ति विषयक राष्ट्रीय निधि" शब्द रखे जाएंगे;

(2) "समाज कल्याण मंत्रालय" शब्द, जहां-जहां वे आते हैं, के स्थान पर, "कल्याण मंत्रालय" शब्द रखे जाएंगे ;

(3) पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3. निधि के प्रबन्ध और प्रशासन के लिए प्रबन्ध बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् "बोर्ड" कहा गया है) गठित किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) सचिव, अध्यक्ष
कल्याण मंत्रालय,
भारत सरकार

(ख) वित्त सलाहकार, सदस्य
कल्याण मंत्रालय,
भारत सरकार

(ग) संयुक्त सचिव, सदस्य
नि:शक्त बालकों के लिए समेकित शिक्षा स्कीम के भारसाधक,
शिक्षा विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ।

(घ)	संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
(ङ)	रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
(च)	संयुक्त सचिव, विकलांग कल्याण के भारसाधक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
(छ)	पांच गैर-सरकारी सदस्य, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाना है (गैर-सरकारी सदस्य अग्रणी सामाजिक कार्यकर्ताओं/स्वयं सेवी संगठनों में से होंगे—जिनमें गंभीर निशक्तता ग्रुपों का एक एक प्रतिनिधि (अधिमानत: स्वयं नि:शक्त व्यक्ति भी होगा), अर्थात् :— दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, आस्थि विकलांग, मानसिक रूप से मंद और विज्ञान की दृष्टि से तांत्रिका विकलांग	सदस्य
(ज)	निदेशक/उप सचिव या अवर सचिव (इस विषय से संबंधित) कल्याण मंत्रालय ।"	सचिव कोषपाल

(4) + + + + +

(5) पैरा 12 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"12. वित्तीय सहायता के लिए पात्रता.—ऐसे रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक संगठन, जिनका कार्यप्रणाली अभिलेख अच्छा है; (ii) स्वायत्त संगठन; (iii) ऐसे स्व. सहायता वाले संगठन जो राष्ट्रीय संस्थान (एन. आई.) जिला पुनर्वास केन्द्रों (डीआरसीएस) काउंसिल फॉर एडवांसमेन्ट आफ पिपुल्स एक्शन एण्ड रूरल टैक्नोलोजी (सी.ए.पी.ए.आर.टी.) कि सिफारिशों के आधार पर शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्ति का स्व-सहायता संगठन है और इस स्कीम के निबंधनों के अनुसार वित्तीय सहयता के लिए पात्र है, को साधारणत: निधि से सहायता की जाएगी ।";

(6) पैरा 14 में, "एक लाख रुपये" शब्द के स्थान पर "पांच लाख रुपये" शब्द रखे जाएंगे;

(7) पैरा 17 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"17. आवेदन पर विचार :—निधि से वित्तीय सहयता के लिए सभी आवेदनों पर बोर्ड द्वारा विचार करने के पश्चात् उसका निपटान किया जाएगा और जहां किसी कारण से बोर्ड का अधिवेशन पहले नहीं हो रहा है वहां ऐसे प्राप्त आवेदनों पर एक समिति द्वारा, जिसमें अध्यक्ष और बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित बोर्ड के दो अन्य सदस्य होंगे, विचार करने के पश्चात् निपटान किया जा सकेगा ।

सभी आवेदन पत्र निम्नलिखित में से किसी एक के माध्यम से आएंगे;

(i) राज्य सरकार/संघ राजयक्षेत्र प्रशासन;

(ii) राष्ट्रीय शीर्ष स्तरीय नि:शक्तता संस्थान;

(iii) —

(क) मानसिक रूप से विकलांग राष्ट्रीय संस्थान, सिकन्दराबाद ।

(ख) दृष्टिक रूप से विकलांग का राष्ट्रीय संस्थान, देहरादून।

(ग) आर्थोपेडिक विकलांग राष्ट्रीय संस्थान, कलकत्ता ।

(घ) श्रव्यहीन विकलांग राष्ट्रीय संस्थान, मुम्बई ।

(ङ) शारीरिक रूप से विकलांग संस्थान, नई दिल्ली ।

(च) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक जिला ।

(iii) जिला पुनर्वास केन्द्र (डी.आर.सी.एस.) (11);

(क) जिला पुनर्वास केन्द्र, विरार;

(ख) जिला पुनर्वास केन्द्र, विजयवाड़ा ;

(ग) जिला पुनर्वास केन्द्र, सीतापुर;

(घ) जिला पुनर्वास केन्द्र, जगदीशपुर;

(ङ) जिला पुनर्वास केन्द्र मैसूर;

(च) जिला पुनर्वास केन्द्र, चेंगलपट्टू ;

(छ) जिला पुनर्वास केन्द्र, कोटा;

(ज) जिला पुनर्वास केन्द्र, भुवनेश्वर ;

(झ) जिला पुनर्वास केन्द्र, भिवानी ;

(ञ) जिला पुनर्वास केन्द्र, बिलासपुर ;

(ट) जिला पुनर्वास केन्द्र, खड़गपुर।

(iv) अखिल भारतीय कार्मिक औषधि और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई

(v) अखिल भारतीय वाक् और श्रवण संस्थान, मैसूर

(vi) काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ पिपुल्स एक्सन एण्ड रूरल टेक्नोलोजी (सीएपीएआरटी)

(vii) व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र (वी.आर.सी.)

(viii) क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्र (आर.आर.टी. सी.)

(क) क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

(ख) क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्र, मुम्बई

(ग) क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्र, चेन्नई

(घ) क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्र, कटक।

(ix) चिकित्सा महाविद्यालय/परीक्षण स्तरीय अस्पताल, नई दिल्ली में चलाए जा रहे कामिक औषधि और पुनर्वास ।

[फा. सं. 19/3/92-एच डब्ल्यू-I]

गौरी चटर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 1997

S.O. 748(E).—In exercise of the powers conferred by sections 4 and 5 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890) the Central Government hereby amends the notification of the Government of India in the Ministry of Social Welfare number S. O. 573 (E), dated the 11th August, 1983, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely :—

In the said notification,

(1) for the words "National Handicapped Welfare Fund", wherever they occur, the words "National Fund for People with Disabilities" shall be substituted;

(2) for the words "Ministry of Social Welfare", wherever they occur, the words "Ministry of Welfare" shall be substituted;

(3) for paragraph 3, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"3. For the management and administration of the Fund, a Board of Management (hereinafter referred to as the Board) shall be constituted consisting of the following members, namely:—

(a) Secretary, Ministry of Welfare, Government of India. —Chairman.

(b) Financial Adviser, Ministry of Welfare, Government of India. —Member.

(c) Joint Secretary, —Member.

Incharge of Integrated Education for the Disabled Children Scheme.
Department of Education,
Ministry of Human Resources Development,
Government of India.

(d) Joint Secretary, —Member.
Department of Health,
Ministry of Health and Family Welfare,
Government of India.

(e) Director General of Employment and Training, —Member.
Ministry of Labour,
Government of India.

(f) Joint Secretary, —Member.
Incharge of Handicapped Welfare,
Ministry of Welfare,
Government of India.

(g) Five non-official members to be nominated by the Chairperson —Member.
(non-official members shall be from leading social workers/voluntary organisations—one each representing major disability groups—visually disabled, hearing disabled, orthopaedically disabled, mentallyt retarded and neurologically disabled) (preferably disabled themselves)

(h) Director/Deputy Secretary or —Secretary
Under Secretary (dealing with the subject), Treasurer.
Ministry of Welfare."

(4) in paragraph 4, for the word "Chairman", the word "Chairperson"shall be substituted;

(5) for paragraph 12, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"12. Eligibility for financial assistance—Registered Voluntary Organisations having a good track record; (ii) Autonomous organisations; (iii) Self-help organisations of people with disabilities on the basis of the recommendations of the National Institutes (NIs), District Rehabilitation Centres (DRCs), and Council for Advancement of People's Action and Rural Technology (CAPART) and eligible for financial assistance in terms of this scheme shall ordinarily be preferred for assistance from the Fund.";

(6) in paragraph 14, for the words "rupees one lakh", the words "rupees five lakhs" shall be substituted;

(7) for paragraph 17, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"17. Consideration of application—All applications for financial assistance from the Fund shall be considered and disposed of by the Board, and where the board is not meeting early for any reason, the applications so received may be considered and disposed of by a committee consisting of the Chairperson and two other members of the Board to be nominated by the Chairperson of the Board.

All applications shall be routed through any of the following:

(i) State Governments/Union Territory Administrations;

(ii) National/Apex Level Institutes of Disabilities.

(a) National Institute for the Mentally Handicapped, Secunderabad.

(b) National Institute for the Visually Handicapped, Dehradun.

(c) National Institute for the Orthopaedically Handicapped, Calcutta.

(d) National Institute for the Hearing Handicapped, Mumbai.

(e) Institute for the Physically Handicapped, New Delhi.

(f) National Institute of Rehabilitation Training and Research, Cuttack District.

(iii) District Rehabilitation Centres (DRCs) (11) :

(a) DRC, Virar;
(b) DRC, Vijayawada;
(c) DRC, Sitapur;
(d) DRC, Jagdishpur;
(e) DRC, Mysore;
(f) DRC, Chengalpattu;
(g) DRC, Kota;
(h) DRC, Bhubaneshwar;
(i) DRC, Bhiwani;
(j) DRC, Bilaspur;
(k) DRC, Kharagpur.

(iv) All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai.

(v) All India Institute of Speech and Hearing, Mysore.

(vi) Council for Advancement of People's Action and Rural Technology (CAPART).

(vii) Vocational Rehabilitation Centres (VRCs).

(viii) Regional Rehabilitation Training Centres (RRTCs)

(a) RRTC, Lucknow;
(b) RRTC, Mumbai;
(c) RRTC, Chennai;
(d) RRTC, Cuttack.

(ix) Department of Physical Medicine and Rehabilitation operating in Medical Colleges/testiary level hospitals, New Delhi".

[File No. 19-3/92-HW-I]
GAURI CHATTERJI, Jt. Secy.

9773GI/97

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1997